हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/04/22 पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण के बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि मूल प्रार्थना पत्र निर्णीत हो चुका है जिसके अब मूल मुकदमा प्रकरण के अब कोई अवशेष शेष नहीं रहा है अतः मूल न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम निषेधाज्ञा दिनांक 29/07/20 निरस्त की जाकर प्रकरण मूल प्रार्थना पत्र निर्णित होने के कारण किया जाता है। पत्रावली निर्णित सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी, गुढामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.03.21 16:45:41 IST
Reason: SelfAttested